



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 12.01.2025

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व

पता:-

संजय चौधरी पुत्र वीरपाल सिंह निवासी चन्दपुरी धोली प्याऊ थाना हाईवे जिला मथुरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना खेकडा ।
2. है0का0 224 रामप्रकाश सिंह थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 12.01.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 005/25 धारा
308(4)/352/351(2)/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.01.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी अमित कुमार पुत्र श्री नवाब सिंह निवासी बादशाहपुर सिरोली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.मनीष पुत्र मदनपाल, 2.गौरव पुत्र सुरेन्द्र, 3.सोनू पुत्र सतवीर निवासीगण बादशादपुर सिरोली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व 4.सौरभ



पुत्र अजीत निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर बागपत द्वारा एक राय होकर वादी के पेट्रोल पम्प के मैनेजर व अन्य स्टाफ के साथ गाली-गलौच करते हुये ग्राम भगौट में स्थित पेट्रोल पम्प पर तोडफोड की व 02 करोड रूपये की रंगदारी की मांग की न देने पर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 308(4)/352/351(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 05/25 धारा 308(4)/352/351(2)/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मनीष पुत्र मदनपाल निवासी बादशादपुर सिरोली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2-गौरव पुत्र सुरेन्द्र निवासी बादशादपुर सिरोली थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 295 नरेन्द्र गौड थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 12.01.2025

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,
जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर

अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- पिंटू पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- सावन पुत्र बलजौर निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ.नि. श्री अनुज कुमार थाना छपरौली ।
2. उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली ।
- 3.है0का0 564 जितेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।
4. है0का0 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली ।
5. है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली ।
6. का0 953 अंकुल कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-12.01.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 236/2024 धारा
191(2)/191(3)/190/3(5)/103/109 BNS 2023 में वाँछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.08.2024 को थाना दोघट पर वादी मयंक पुत्र मुकेश निवासी ग्राम अटेरना थाना कुण्डली जनपद सोनीपत हरियाणा ने सूचना दी कि दिनांक 02.08.2024 को हरिद्वार से कांवड लाते समय 20-25 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के भाई वंश पुत्र मुकेश व वादी के अन्य साथियों 1.रोहित पुत्र देवेन्द्र 2.विजय पुत्र संजय 3.नवीन पुत्र सत्ते



4.नीतेश पुत्र रणवीर सिंह 5.कर्ण पुत्र हरीश पर ईट, लाठी-डन्डे व चाकू से हमला किया गया । जिससे वादी का भाई वंश गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर

मु0अ0स0 236/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103/109 BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0स0 236/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103/109 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।


नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 09 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम हलालपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-महिला उ0नियूटी शिवानी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 12.01.2025

थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

दुष्यन्त पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर पुढी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 87 राकेश त्यागी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 718 अनित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।